	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 04, गुरूवार, *शाके* 1948- मार्च 25, 2026 Chaitra 04, Thursday, Saka 1948- March 25, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 10, 2026

संख्या प.10(22)कृषि/ग्रुप-2/1985 :- जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 31.07.1965 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, मदनगंज किशनगढ की स्थापना की गई थी एवं अधिसूचना दिनांक 29.12.1981 से कृषि उपज मण्डी समिति, मदनगंज किशनगढ के मण्डी क्षेत्र मे ''रूपनगर'' के नाम से गौण मण्डी यार्ड की स्थापना की गई थी जिसमे ''रूपनगर'' के स्थान पर ''रूपनगढ'' पढा जावे।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, मदनगंज किशनगढ द्वारा मण्डी क्षेत्र रूपनगढ मे गौण मण्डी यार्ड हेतु आवंटित 6.4720 हैक्टेयर भूमि पर गौण मण्डी यार्ड रूपनगढ घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि गौण मण्डी यार्ड रूपनगढ से तात्पर्य वर्तमान क्षेत्र से होगा, जिसकी सीमाऐं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व दिशा मे - ग्राम रूपनगढ के खसरा संख्या 2064 & 2089

पश्चिम दिशा मे - ग्राम रूपनगढ के खसरा संख्या 4393/2090

उत्तर दिशा मे - ग्राम रूपनगढ के खसरा संख्या 2029

दक्षिण दिशा मे - ग्राम रूपनगढ-जयपुर स्टेट हाई-वे संख्या 100 का खसरा संख्या 2185

गौण मण्डी यार्ड रूपनगढ की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
स्नेह लता हारीत,
शासन उप सचिव।

22931
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।